

छत्तीसगढ़ अधिनियम

क्रमांक 22 सन् 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्र. 24 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो-

अध्याय 1- प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम 2020 कहलायेगा ।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
 (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) आयोग से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ।
 - (ख) सदस्य से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है ।
 - (ग) अनुसूचित जनजातियों से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 OF 2020)

The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First year of the Republic of India as follows :

Chapter I - Preliminary

Short title Extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.
 (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
 (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In The Act, Unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Commission" means the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Constituted under section 3.
 - (b) "Member" means a member of the Commission and includes the chairperson.
 - (c) "Scheduled Tribes" means such tribes, tribal communities or parts of, or groups within such tribes or tribal communities specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Chhattisgarh under article 342 of the Constitution of India.